फर्द अहकाम

कार्यालय– सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

प्रार्थी श्री मोहन भारती विपक्षी श्री धुलजी

किस्म मुकदमा– रा.वा. पत्रावली संख्या– 21/2014 सन् –2014

04-06-2019

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अभिभाषक वादीगण अनुपस्थित। विद्वान अभिभाषक मय वादीगण को न्यायालय समय में तीन बार आवाजें लगवायी गयी फिर भी न तो वादीगण और न ही उनके विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अतः न्यायालय अन्तर्गत आदेश-9, नियम 3 CPC राजस्व वाद को खारिज करना उचित समझता है। राजस्व-वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर